राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता

क्रमांक एफ–13 ( )निमअ/SHG/एकमुश्तअनुदान/2013–14/ 47533 दिनांक 16.7.13

महिला स्वयं सहायता समूहों के लिये ₹10,000 की एक मुश्त अनुदान योजना

–: परिपत्र :–

बजट घोषणा वर्ष 2013–14 के अंतर्गत स्वरोजगार हेतु ऋण लेने वाले स्वयं सहायता समूहों के लिए वर्तमान में संचालित 50 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना को और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पात्र समूहों को ऋण के साथ रूपये 10,000/– का एकमुश्त अनुदान दिया जाना है।

उक्त बजट घोषणा की क्रियान्विति हेतु निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते है–

1. योजना का कार्यक्षेत्र

योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान होगा।

2. समयावधि

दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2014 तक

3. परिभाषाएं

- **बैंक–** बैंक से अभिप्राय वैधानिक तरीके से गठित बैंक एवं उनकी शाखाऐ हैं, यथा राष्ट्रीयकृत बैंक एवं उनकी शाखा, राजस्थान राज्य कॉपरेटिव बैंक और उनकी शाखाऐ, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक और उनकी शाखाऐ तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और उनकी शाखाऐं।
- **महिला स्वयं सहायता समूह–** महिला स्वयं सहायता समूह को WSHG भी कहा गया है। इससे अभिप्राय 10 या 10 से अधिक महिलाओं के समूह से है, जो कि अलग–अलग परिवार की महिलाऐ हो तथा अपने सामाजिक व आर्थिक उन्नयन हेतु संगठित होकर सामूहिक रूप से निर्णय लेती है, ऐसे समूह न्यूनतम रूपये 25000/– के ऋण के साथ 50% ब्याज अनुदान योजना की पात्रता रखते हो।
- **राज्य क्लेमिंग नोडल बैंक–** राज्य क्लेमिंग नोडल बैंक से अभिप्राय राज्य स्तर पर चिन्हित उस बैंक से है जो कि ऋण देने वाली बैंक शाखाओं के द्वारा 50% ब्याज अनुदान एवं एक मुश्त अनुदान के क्लेम को सम्बन्धित बैंक शाखाओं से प्राप्त राज्य नोडल बैंक को प्रेषित करता है।
- **राज्य नोडल बैंक–** राज्य नोडल बैंक से अभिप्राय विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की सचिवालय शाखा जयपुर तथा सहकारी बैंकों के लिए राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक की शीर्ष बैंक (Apex Bank) से है। ये दोनो बैंक विभाग द्वारा इन्हें एक मुश्त अनुदान योजना हेतु उपलब्ध कराये गये कोष में से राज्य क्लेमिंग नोडल बैंकों/जिला स्तरीय सहकारी बैंकों द्वारा एक मुश्त अनुदान हेतु क्लेम की गई राशि को सम्बन्धित बैंक शाखा के लिये उपलब्ध करायेगें।

4. महिला स्वयं सहायता समूहों की पात्रता

- 01.04.2013 से 31.03.2014 के मध्य बैक ऋण प्राप्त करने वाले ऐसे समस्त महिला स्वयं सहायता समूह जो बैंक ऋण पर 50% ब्याज अनुदान योजना की पात्रता रखते हैं तथा उन्हें राष्ट्रीकृत बैंक/ग्रामीण बैंक/सहकारी बैंक के द्वारा स्वरोजगार हेतु रूपये 25,000/– या उससे अधिक का बैंक ऋण स्वीकृत किया गया हो, वे समस्त समूह बैंक ऋण के साथ एक मुश्त अनुदान रूपये 10,000/– प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- रूपये 10,000/– की एक मुश्त अनुदान योजना का लाभ समूहों को अपने जीवन काल में एक बार ही प्राप्त होगा।

5. बैंक स्तरीय प्रक्रिया

- संबंधित बैंक शाखा द्वारा ऋण की राशि के साथ एकमुश्त अनुदान की राशि पात्र समूहों के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जावेगी।
- विभाग द्वारा सीधे ही उक्त दोनों राज्य नोडल बैंक को योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार अग्रिम राशि उपलब्ध कराई जायेगी।
- बैंको द्वारा किये जाने वाले क्लेम्स की वैधानिकता की समस्त जिम्मेदारी संबंधित बैंक के राज्य क्लेमिंग नोडल बैंक की होगी।

5. मॉनीटरिंग

- कार्यक्रम की मॉनीटरिंग, समीक्षा एवं बैंकर्स से समन्वय हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, जिला स्तरीय समन्वय समिति एवं ब्लाक स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में स्थायी एजेण्डा रखवाया जायेगा।
- विभागीय स्तर पर कार्यक्रम की प्रगति समीक्षा हेतु कार्यक्रम अधिकारी मासिक प्रगति निदेशालय को भेजना सुनिश्चित करेगें।

इस प्रकार राज्य में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को गति प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ की जा रही उक्त योजना की सफल क्रियान्विती हेतु यह आवश्यक है कि विभाग एवं बैंकिंग सेक्टर के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए योजना की विभागीय स्तर पर प्रभावी मॉनीटरिंग एवं बैंकिंग स्तर पर नियमित निस्तारण सुनिश्चित किया जावे।

6/7/13

(डॉ. रेखा गुप्ता)
निदेशक
महिला अधिकारिता
राज., जयपुर।

क्रमांक एफ–13 ( )निमअ/SHG/एकमुश्तअनुदान/2013–14/47535-674 दिनांक
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर समस्त।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त।

8. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, आनन्द भवन, संसार चन्द्र रोड, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2013–14 की क्रम संख्या–113.0 की पालना के क्रम में 50% ब्याज अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने वाले महिला स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण के साथ दिये जाने वाले ₹10,000 की एक मुश्त अनुदान योजन्ना की क्रियान्विति हेतु अपने स्तर से समस्त बैंकर्स को निर्देशित करते हुये उक्त परिपत्र भिजवाने का श्रम करावें।
9. निजी सचिव, महाप्रबन्धक, नाबार्ड, नेहरू प्लेस, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, दी राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक लि0, टोंक रोड़, जयपुर।
11. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग समस्त।
12. कार्यक्रम अधिकारी, म.अ. समस्त।
13. सहायक महाप्रबन्धक SBBJ सचिवालय शाखा, जयपुर
14. प्रोग्रामर महिला अधिकारिता वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

(डॉ. मुक्ता अरोड़ा)
अतिरिक्त निदेशक (SHG)
महिला अधिकारिता
राजस्थान, जयपुर।